



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**14.06.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.06.2024 को पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया है। पदमचंद जैन को 14.06.2024 को माननीय विशेष परीक्षण न्यायालय पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 18.06.2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने एसीबी, जयपुर द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कहा गया था कि पदमचंद जैन (मालिक: मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी) और अन्य लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) से प्राप्त विभिन्न निविदाओं के संबंध में अवैध सुरक्षा प्राप्त करने, निविदाएं प्राप्त करने, बिल स्वीकृत कराने और उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में अनियमितताओं को ढँकने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देने में शामिल थे। संदिग्ध अपने टेंडरों/अनुबंधों में उपयोग करने के लिए हरियाणा से चोरी किए गए सामान की खरीद में भी शामिल थे और उन्होंने पीएचईडी अनुबंध प्राप्त करने के लिए इरकॉन से फर्जी कार्य समापन पत्र भी जमा किए थे।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी ठेकेदार यानी पदमचंद जैन पीएचईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर मैसर्स इरकॉन द्वारा जारी कथित फर्जी और मनगढ़ंत कार्य समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर जेजेएम कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल था।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि पदमचंद जैन मुख्य आरोपियों में से एक है और उसने अपनी फर्म में अपराध के आगमों की प्राप्ति की है। उसके नाम, संस्थाओं और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखे गए कई बैंक खातों के माध्यम से इसका अंतरण किया गया और छिपाया गया, जिसे अचल और चल संपत्तियों में निवेश के माध्यम से निकाल लिया गया।

यह उल्लेख करना उचित है कि ईडी ने इस मामले में कई तलाशी ली हैं, जिससे अब तक 11.03 करोड़ रुपये जब्त हुए हैं। इसके अलावा, ईडी ने इसी मामले में 29.02.2024 को पीयूष जैन को भी गिरफ्तार किया था।

आगे की जांच जारी है।